

पत्रांक : 11/नि2-13/91(खण्ड)अंश III.....1173

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक:

आर०बी० चौधरी,  
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, (नगर निगम),  
सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, (जिला परिषद),  
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, (नगर परिषद/नगर पंचायत),  
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)।

पटना, दिनांक .....5/8/....., 2013

**विषय : उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के संबंध में।**


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु सभी नियोजन इकाईओं द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक आवेदन लेने का निदेश दिया गया था। अपरिहार्य कारणवश आवेदन लेने की तिथि एक पक्ष के लिए विस्तारित की जाती है।

सभी नियोजन इकाई उक्त सूचना को सूचना-पट्ट पर प्रकाशित करते हुए प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में दिनांक 08 अगस्त 2013 से 22 अगस्त 2013 तक अंक-पत्रों एवं अन्य सभी प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ निबंधित डाक या सीधे संबंधित नियोजन इकाई के कार्यालय में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

नियोजन इकाई द्वारा सूचना का प्रकाशन अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के NIC के वेबसाइट पर किया जाना अनिवार्य है।

विश्वासभाजन,

  
(आर०बी० चौधरी)  
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)